प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 28.12.2025

साईबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 1,05,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 25.12.2025 को साईबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा एनसीआरपी पोर्टल शिकायत संख्या 33112250190452 आवेदिका श्रीमती कोमल निवासी न्यू करहेड़ा कांलोनी, मोहन नगर, थाना साहिबाबाद गाजियाबाद के साथ हुए इन्टरनेट बैंकिग रिलेटेड़ साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 1,05,000/- रुपये की धनराशि ट्रांसफर करने के सम्बन्ध में एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 25.12.2025 को आवेदिका श्रीमती कोमल निवासी मोहन नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद के साथ 1,05,000/- रूपये का ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को बैंको से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 28.12.2025 को आवेदिका उपरोक्त के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि 1,05,000/- रू० को वापस कराया गया आवेदिका उपरोक्त द्वारा थाना साहिबाबाद पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद साइबर सेल

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से गबन किये गये 1 लाख 99 हजार 500 रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 25.12.2025 को वादी राजेश मेहरोत्रा द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि मै शिवा स्कूटर एंजेसी प्रा0लि0 साहिबाबाद इण्ड एरिया साहिबाबाद में ऑपरेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और हमारी कम्पनी में लक्ष्मी नारायण पुत्र अज्ञात निवासी ब्लॉक सी नन्दग्राम एकांउटेट के पद पर कार्यरत है लक्ष्मी नारायण ने अन्य सेल्स एक्जीक्यूटिव के साथ सुनियोजित साजिश के तहत और धोखाधड़ी जालसाजी

व पैसे ऐठने की नियत से नौकरी में ने अन्य सेल्य नियोजित रहते हुए कम्पनी को लाखो रुपये का आर्थिक नुकसान पहुचाया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंकरोड़ द्वारा धारा 316(5),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 28.12.2025 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. लक्ष्मी नारायण पुत्र सत्य नारायण निवासी सी-1310 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम मोहनपुर जिला मधुबनी, बिहार उम्र करीब 46 वर्ष 2.मनीष शर्मा पुत्र रामसेवक शर्मा निवासी कृष्णापुरम मउ रोड खन्दारी थाना न्यू आगरा जनपद आगरा उम्र करीब 38 वर्ष 3. ओमप्रकाश पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम रिडावली थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 33 वर्ष को इन्द्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कालेज कट से शिवा स्कूटर एजेन्सी प्राइवेट लिमिडेट के खातो में हेराफेरी कर गबन किये गये 1,99,500 /- रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब हम तीनों शिवा स्कूटर एंजेसी प्राईवेट लिमिटेड साहिबाबाद गाजियाबाद में नौकरी करते है लक्ष्मीनारायण पिछले 23 वर्ष से एकाऊटेंट का कार्य करता था, हम तीनों ने अपनी नौकरी के दौरान कम्पनी के अन्य साथियो के साथ मिलकर कम्पनी के एकाऊंट मे कुछ हेरा फेरी कर लगभग 9,00000/- रुपये का गबन किया था, जिसका पता कम्पनी के मालिको को लग गया तथा जिसके बाद लक्ष्मीनारायण ने माह अक्टूबर 2025 में कम्पनी छोड़ दी थी, तथा लक्ष्मीनारायण को जानकारी हुई थी कि शिवा स्कूटर एंजेसी साहिबाबाद के द्वारा हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया है तथा पुलिस हमें ढूंढ रही है। इसी कारण लक्ष्मीनारायण आज गबन किये गये पैसो को अपने साथी मनीष शर्मा(सेल्स महाप्रबंधक बुलंदशहर ब्रांच) , सैल्समैन ओमप्रकाश व जितेन्द्र भाटी से अपने हिस्से के पैसे लेने आये थे कि आपने पकड़ लिया। हम तीनो से जो 1,99,500 /- रुपये बरामद हुए है यह रुपये उसी गबन किये गये रुपयों में से बची धनराशि है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. लक्ष्मी नारायण पुत्र सत्य नारायण निवासी सी-1310 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम मोहनपुर जिला मधुबनी, बिहार उम्र करीब 46 वर्ष।
2.मनीष शर्मा पुत्र रामसेवक शर्मा निवासी कृष्णापुरम मउ रोड खन्दारी थाना न्यू आगरा जनपद आगरा उम्र करीब 38 वर्ष।
3. ओमप्रकाश पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम रिडावली थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 33 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- गबन की गयी धनराशि में से 1,99,500/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों उपरोक्त के विरूद्ध थाना लिंकरोड पर गबन व धोखाधड़ी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 26.12.2025 को थाना खोड़ा पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 18.12.2025 को अभियुक्त राशिद पुत्र शेखर निवासी नीम करोली थाना मोहम्दाबाद जिला फर्रुखाबाद हाल पता रहमानिया मस्जिद नेहरु गार्डन खोड़ा गाजियाबाद द्वारा वादिया की पुत्री जिसकी उम्र 14 वर्ष है से जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। जिसके क्रम में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा पर धारा 64 बीएनएस व 4(2) लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 27.12.2025 को वांछित अभियुक्त राशिद पुत्र शेखर निवासी ग्राम बाबा लक्ष्मण दासपुरी नीम करोली थाना मौहम्दाबाद जिला फरुर्खाबाद हाल पता रहमानिया मस्जिद के पास नेहरु गार्डन खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को नेहरु गार्डन खोड़ा के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मै और पीडिता आमने-सामने मकान में किराये पर रहते थे। मेरी बोलचाल पीडिता से पूर्व में थी और मेरा अक्सर पीडिता के घर आना जाना रहता था। दिनांक 18.12.2025 को मै पीडिता के घर गया वहाँ पीडिता अकेली थी पीडिता को अकेली पाकर मेरी बुद्धि खराब हो गयी जिस कारण मैने पीडिता के साथ दुष्कर्म कर दिया। साहब गलती हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

राशिद पुत्र शेखर निवासी ग्राम बाबा लक्ष्मण दासपुरी नीम करोली थाना मौहम्दाबाद जिला फरुर्खाबाद हाल पता रहमानिया मस्जिद के पास नेहरु गार्डन खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर दुष्कर्म का 01 अभियोग व जनपद गौतमबुद्धनगर में एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वर्ष 2025 में 52 पुलिस मुठभेड़ में 91 वंछित अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने एवं नागरिकों को सुरक्षित, संरक्षित एवं अपराध मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए नगर जोन द्वारा वर्ष 2025 में आदतन आपराधियों से 52 मुठभेड़ हुई जिनमें 91 वंछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य अपराध को रोकना है, विशेष रूप से ऐसे अपराध जो आम नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास को सीधे प्रभावित करते हैं।

वर्ष 2025 मुठभेड़ में की कार्यवाही का विवरण, नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबादः-

	थाना	मुठभेड़	गिरफ्तार
1	कोतवाली	05	08
2	विजयनगर	12	20
3	सिहानीगेट	04	08
4	नंदग्राम	04	05
5	कविनगर	08	17
6	मधुबन बापुधाम	06	09
7	क्रॉसिंग रिपब्लिक	05	14
8	वेव सिटी	8	10
कुल		52	91

गिरफ्तार अभियुक्तो का आपराधिक इतिहास (कुल अभियोग की संख्याः)

थाना	लूट/स्नैचिंग	टैप्पेबाजी	नकाबजनी/ गृह भेदन	वाहनचोरी	अन्यचोरी
कोतवाली	3	1	0	6	2
विजयनगर	29	0	02	11	11
सिहानीगेट	16	13	03	0	03
नंदग्राम	13	0	0	04	0
कविनगर	30	0	11	05	0
मधुबन बापुधाम	19	0	01	06	12
क्रॉसिंग रिपब्लिक	07	0	14	16	02
वेव सिटी	12	0	02	06	0
कुल	**129**	**14**	**33**	**54**	**30**

यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कार्रवाई से अपराधियों में भय एवं निरोधक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई तथा उन्हें सतत निगरानी में रखा गया, जिससे आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगी।

निवारक रणनीति एवं पुलिसिंग उपायः-

आदतन अपराधियों की पहचान पूर्व अपराध रिकॉर्ड, स्थानीय सूचनाओं एवं बीट स्तर की जानकारी के आधार पर की गई।

जन सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धताः-

- गाजियाबाद पुलिस, नागरिकों को सुरक्षित, संरक्षित एवं अपराध मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उक्त कार्यवाही इस बात का प्रमाण हैं कि सक्रिय, उत्तरदायी एवं जन-केंद्रित पुलिसिंग अपराध नियंत्रण में अत्यंत प्रभावी है।
- भविष्य में भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी ताकि अपराधों में स्थायी कमी सुनिश्चित की जा सके। गाजियाबाद पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे सतर्क रहें एवं पुलिस के साथ सहयोग कर समय पर सूचना साझा करें, जिससे कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।